

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1996 / मार्गशीर्ष, 08, 1918 ॥शक॥

संख्या : 300

सदस्य को नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्व जिला, दिल्ली से दिनांक 24.11.96 को निम्नलिखित संदेश 26.11.96 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राम पाल कराहना को आज अर्थात् दिनांक 24.11.96 को पूर्वाह्न 9.30 बजे पुलिस थाना गोकल पुरी के विधिसम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया। उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 24.11.96 को पूर्वाह्न 10.25 बजे रिहा कर दिया गया।

पी.एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, November 29, 1996/ Marghshish 08, 1918 (Saka)

No. 300

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 24.11.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. Dy. Commissioner of Police, North East District, Delhi on 26.11.96 :-

"I have the honour to inform you that Shri Ram Pal Member of Legislative Assembly, Delhi was detained U/S 65 D.P. Act on 24.11.96 at 9.30 A.M. for disobeying the lawful directions of P.S. Gokal Puri and was released on 24.11.96 at 10.25 A.M."

P.N. GUPTA